भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2590
जिसका उत्तर बुधवार 9 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन (एचईसी) रांची में अवैध कब्जा

2590. श्री संजीव कुमार:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची में हैवी इंजीनिरिंग कार्पोरेशन के काफी बड़े जमीन के टुकड़े पर अवैध कब्जा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अवैध कब्जे की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) एचईसी अवैध कब्जे को हटाने में कब तक समर्थ होगी?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एचईसी), रांची को 7199.51 एकड़ भूमि तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी और हस्तांतरण विलेख 26.02.1996 को हस्ताक्षरित किया गया था।
एचईसी ने सूचित किया है कि उनकी भूमि पर अतिक्रमण बहुत पहले 80 के दशक में शुरू हो गया था और 2004 तक जारी रहा।

(ख): एचईसी ने सूचित किया है कि कंपनी द्वारा वर्ष 2016 में किए गए डिजीटल सर्वे के अनुसार लगभग 379.91 एकड़ भूमि अतिक्रमणाधीन/बाहरी लोगों के अवैध कब्जे में है।

(ग): एचईसी ने सूचित किया है कि अतिक्रमणाधीन भूमि को खाली कराने के लिए कंपनी द्वारा 2005 से आगे निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए गए हैं:-

i). 422 अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा कब्जा की गई 34.33 एकड़ भूमि को खाली कराने के लिए संपदा अधिकारी द्वारा लोक परिसर (अनाधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन पारित किए गए आदेश के अनुपालन में कंपनी ने इसके द्वारा पूर्व में किए गए विभिन्न प्रयासों के अलावा वर्ष 2011 में बेदखली की प्रक्रिया शुरू की।

ii). माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के दिनांक 08.04.2011 के आदेश के आलोक में कंपनी ने अतिक्रमण को हटाने के लिए दोबारा बेदखली अभियान चलाया।

iii). कंपनी ने अतिक्रमण को हटाने में माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में आईए भी दाखिल किया ताकि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार यह 354.25 एकड़ भूमि झारखण्ड सरकार को अंतरित की जा सके।

iv). माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड ने दिनांक 06.02.2012 के अपने आदेश में राज्य प्रशासन को निदेश दिया था कि अतिक्रमणरोधी अभियान चलाने के लिए न्यायाधीश की तैनाती की जाए और एचईसी को महिला बल सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए।

v). माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड ने दिनांक 06.02.2012 के उक्त आदेश के पश्चात् कंपनी, रांची जिला प्रशासन की सहायता से बेदखली अभियान चला रही है।

vi). रांची जिला प्रशासन की सहायता से बाजार क्षेत्र में मई, 2017 में तोड़फोड़/बेदखली अभियान भी चलाया गया था।

vii). इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा समय-समय पर इन कब्जों के विरुद्ध आवश्यक समझी जाने वाली कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।

(घ): अतिक्रमणाधीन भूमि से अवैध कब्जों को हटाना जिला कानून एवं व्यवस्था प्राधिकारी से पर्याप्त सहायता के अध्यधीन है। इसलिए, इस संबंध में कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

*****